

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/मं.गा.प्रकोष्ठ/66174/ वॉक इन इन्टरव्यू/2023-24/ दिनांक 01.10.2023 एवं 03.10.2023 एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर के क्रमांक मु. जिशिअ/उदय/सामान्य/2023/3860 दिनांक 04.10.2023 एवं 3879 दिनांक 05.10.2023 की पालना में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में) कार्मिकों की नियुक्ति लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तों नियम 2023 के तहत विभागीय कार्मिकों के चयन हेतु नियम-9 (ख) में उल्लेखित अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत निम्नलिखित अध्यापक लेवल-द्वितीय के कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चयनित किये जाने पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 07.10.2023 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्र०स०	कर्मचारी आईडी	नाम कार्मिक	पद	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	चयन उपरान्त पदस्थापित स्थान	जिला
1	RJUD202239007458	RASHMI PANDYA	Teacher Level-2	English	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KAMBA (490970)	UDAIPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KACHHBA (214868)	UDAIPUR
2	RJUD201839023731	KALEEM KHAN MAKRAANI	Teacher Level-2	English	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL GATODA (494196)	UDAIPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL NAYAGAON (412921)	UDAIPUR
3	RJBM201505017243	NIRMAL MEWARA	Teacher Level-2	Mathematics/ Science	GOVT. TRIBAL RESIDENTIAL GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL ISARWAS	UDAIPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BOKHADA (214850)	UDAIPUR

शर्तें :-

- उपरोक्त कार्मिकों को एक वर्ष की अवधि हेतु पदस्थापित किया जाता है, कार्मिक के सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन (Review) पश्चात् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट (Specified) प्रक्रिया द्वारा बढ़ायी जाने योग्य होगी।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी कार्मिक को पूर्वतर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसा सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व, बिना कोई कारण दिये, निर्युक्त (Relieve) करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित किये गये समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन, निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- उपरोक्त चयनित कार्मिकों के चयन के पश्चात् मूल स्वर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति होती है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जायेगा।
- अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिकों को उसके पद/विषय के अनुसार सम्पूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा। सम्बन्धित कार्मिक की वारस्तविक वरिष्ठता, पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।
- उपरोक्त चयनित कार्मिकों की वरिष्ठता इनके मूल पदस्थापित जिला/मण्डल में ही सुरक्षित की जायेगी।
- उपरोक्त चयनित कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक परीक्षाधीन है तो उनका स्थायीकरण, उनके मूल जिले/मण्डल में जारी किया जायेगा।
- यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित/विचाराधीन है तो उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापन पर चयनित शिक्षक के कार्यग्रहण किए जाने के उपरान्त ही पूर्व से कार्यरत शिक्षक (बिना साक्षात्कार के) को आगामी आदेशों की प्रतीक्षा हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
- एकल शिक्षक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक का चयन होने पर, उक्त विद्यालय में अन्य शिक्षक के कार्यग्रहण करने पर ही चयनित शिक्षक को पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.10.05 20:24:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4855441

Page 1 of 4



- 11 राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त कर्मिकों को शहरी क्षेत्र (नगर पालिका/नगर निगम) हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 12 अनुसूचित क्षेत्र के कर्मिकों को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के कर्मिकों को गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
- 13 उपरोक्त कर्मिकों में से यदि कोई कर्मिक पूर्व से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (S.V.M.S. सहित) में साक्षात्कार के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- 14 उपरोक्त कर्मिकों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित सहमति पत्र प्राप्त किया जावे :- मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कर्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम 2023 का अवलोकन कर लिया है, यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं "आवेदन की शर्तें व दिशा-निर्देशों" एवं "सेवा की अन्य शर्तें" मानने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता / करती हूँ।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

क्रमांक :-जिशिश/मुख्या/माध्य/उदय/संस्था-1/महात्मागांधी/अंग्रेजी माध्य/2023/

दिनांक:-05.10.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 8 संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग, उदयपुर।
- 9 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर।
- 10 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
- 11 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कर्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- 10 संबंधित कर्मिक।
- 11 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Asha Mandawat
Designation: District Education
Officer
Date: 2023.10.05 10:24:16 IST
Reason: Approved



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

--: कार्यालय आदेश :-

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/मं.गा.प्रकोष्ठ/66174/ वॉक इन इन्टरव्यू/2023-24/ दिनांक 01.10.2023 एवं 03.10.2023 एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर के क्रमांक मु. जिशिअ/उदय/सामान्य/2023/3860 दिनांक 04.10.2023 एवं 3879 दिनांक 05.10.2023 की पालना में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तों) नियम 2023 के तहत विभागीय कार्मिकों के चयन हेतु नियम-9 (ख) में उल्लेखित अनुसार गठित जिला स्तरीय चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत निम्नलिखित अध्यापक लेवल-द्वितीय के कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चयनित किये जाने पर उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 07.10.2023 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

क0स0	कर्मचारी आईडी	नाम कार्मिक	पद	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	चयन उपरान्त पदस्थापित स्थान	जिला
1	RJUD201837031931	JAYA SEN	Teacher Level-2	English	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NETAWATO KI BHAGAL LOSING (463799)	UDAIPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL GARIB NAGAR (223320)	UDAIPUR
2	RJUD202137019774	NIRMALA CHARAN	Teacher Level-2	Mathematics/ Science	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL DABOK MAVLI UDAIPUR (223116)	UDAIPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL POLICE LINE (223300)	UDAIPUR
3	RJUD202137024835	CHESHTA SHRIMALI	Teacher Level-2	Mathematics/ Science	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KHUMANPURA (491092)	UDAIPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL GARIB NAGAR (223320)	UDAIPUR

शर्त :-

- उपरोक्त कार्मिकों को एक वर्ष की अवधि हेतु पदस्थापित किया जाता है, कार्मिक के सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन (Review) पश्चात् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट (Specified) प्रक्रिया द्वारा बढ़ायी जाने योग्य होगी।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी कार्मिक को पूर्वतर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसा सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व, बिना कोई कारण दिये, निर्युक्त (Relieve) करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित किये गये समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन, निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- उपरोक्त चयनित कार्मिकों के चयन के पश्चात् मूल सर्वग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति होती है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जायेगा।
- अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिकों को उसके पद/विषय के अनुसार सम्पूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा। सम्बन्धित कार्मिक की वास्तविक वरिष्ठता, पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।
- उपरोक्त चयनित कार्मिकों की वरिष्ठता इनके मूल पदस्थापित जिला/मण्डल में ही संरक्षित की जायेगी।
- उपरोक्त चयनित कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक परिवीक्षाधीन है तो उनका स्थायीकरण, उनके मूल जिले/मण्डल में जारी किया जावेगा।
- यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाच लम्बित/विचाराधीन है तो उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापन पर चयनित शिक्षक के कार्यग्रहण किए जाने के उपरान्त ही पूर्व से कार्यरत शिक्षक (बिना साक्षात्कार के) को आगामी आदर्श की प्रतीक्षा हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
- एकल शिक्षक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक का चयन होने पर, उक्त विद्यालय में अन्य शिक्षक के कार्यग्रहण करने पर ही चयनित शिक्षक को पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Asha Mandawat
Designation: District Education
Officer
Date: 2023.10.05 10:24:16 IST
Reason: Approved



- 11 राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त कर्मिकों को शहरी क्षेत्र (नगर पालिका/नगर निगम) हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 12 अनुसूचित क्षेत्र के कर्मिकों को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के कर्मिकों को गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
- 13 उपरोक्त कर्मिकों में से यदि कोई कर्मिक पूर्व से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (S.V.M.S. सहित) में साक्षात्कार के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- 14 उपरोक्त कर्मिकों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित सहमति पत्र प्राप्त किया जावे :- "मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कर्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्त) नियम 2023 का अवलोकन कर लिया है, यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं "आवेदन की शर्त व दिशा-निर्देश" एवं "सेवा की अन्य शर्त" मानने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

क्रमांक :-जि.शि.अ./मुख्या/माध्य/उदय/संस्था-1/महात्मागांधी/अंग्रेजी माध्य/2023/

दिनांक:-05.10.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 5 निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 6 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 8 संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग, उदयपुर।
- 9 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर।
- 10 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
- 11 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 9 संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कर्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करें।
- 10 संबंधित कर्मिक।
- 11 रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Asha Mandawat
Designation : District Education
Officer
Date: 2023.10.05 10:24:16 IST
Reason: Approved

